न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :— संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)

दावा संख्या :— 36 / 2020

दायर दिनाकं :— 02.12.2020

निर्णय दिनांक :— 10.03.2022

उनवान

अब्दुल मजीद उम्र 51 वर्ष पुत्र सरदार खॉ जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला दौसा

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

(अप्रार्थी)

उपस्थिति :— श्री विनोद विजय अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णयः— दिनांकः— 10.03.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट

उक्त प्रकरण मे सक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि वाके दौसा कलां तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.0900 है0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है एवं उक्त भूमि पर मौके पर प्रार्थी काबिज है। प्रार्थी अपनी खाते दारी भूमि के खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.0900 है0 के चारो ओर सीमा चिन्हन करवाकर अपनी भूमि के सीमा चिन्ह अंकित करना चाहता है। इसलिए प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार दौसा के समक्ष उक्त भूमि का सीमाज्ञान का प्रार्थना—पत्र पेंश किया जिस पर दिनांक 29.11.2019 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान करके मौका रिपोर्ट मौके पर ही तैयार की गयी। प्रार्थी अपनी उक्त [illegible] व उपयोग उपभोग की भूमि वाके ग्राम दौसा कलां तहसील [illegible] जिला दौसा स्थित कृषि खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.0900 है0 के पत्थरगढी करवाकर चिन्हन अंकित करवाना चाहता है तथा पत्थरगढी चाहता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:02:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज.)

ताकि किसी भी प्रकार के कोई विवाद की स्थिति नही हो सके इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। अतः तहसीलदार दौसा को पत्थरगढी करने हेतु आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी के द्वारा उक्त पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र न्यायालय में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार दौसा को जरिये सम्मन तलबी की गई। तहसीलदार (भू0अ0) दौसा द्वारा पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि ग्राम दौसा कलां के खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.09 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता खातेदार अब्दुल मजीद पुत्र सरदार खॉ हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सादेह खातेदार दर्ज रिकार्ड है मौके पर काबिज है उपरोक्त खसरा की पत्थरगढी करवाने में राजस्थान सरकार को कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थी के अधिवक्ता को पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की वाके ग्राम दौसा कलां में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.09 है0 भूमि की पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जाकर राजकोष में जमा किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से ... गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:02:32 IST
Reason: SelfAttested

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज.)

उपखण्ड न्यायालय ... दण्डनायक, दौसा (जि. दौसा)